न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मीना गहलोत, आर.जे.एस.

नम्बरी फौजदारी प्र. संख्या – 07/2015

सी.आई.एस. नं. : 2247/2015

CNR. No. :– RJSG180000212015

राजस्थान राज्य

बनाम

1– फतेह सिंह पुत्र राजा सिंह जाति मजबी सिख निवासी तरखानवाला पीएस सदर मलोट पंजाब।

2– कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रायसिख निवासी कच्चा सीडफार्म अजीतनगर नजद सरकारी स्कूल दाना मण्डी के पीछे अबोहर पंजाब।

3– गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति मजबी सिख निवासी वार्ड नं. 2 अजीतनगर कच्चा सीडफार्म अजीतनगर नजद सरकारी स्कूल दाना मण्डी के पीछे अबोहर पंजाब।

4– हरप्रीत सिंह उर्फ बिटू पुत्र सोहनसिंह, उम्र–29 वर्ष, निवासी–गली नंबर 05 पंचपीर, अबोहर, पुलिसथाना–सिटी अबोहर।**{दिनांक 08.03.2016 को मफरूर}**

(11 वर्ष पुराना प्रकरण)

अपराध अन्तर्गत धारा 394 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति :–

1– राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी।

2– अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दर्शन सिंह बराड़, श्री गोपाल सिंह राठौड़।

:: निर्णय ::

दिनांक : 22–04–2026

नोटः– प्रकरण में अभियुक्त हरप्रीत सिंह उर्फ बिटू सिंह मफरूर है। अब प्रकरण का विचारण शेष अभियुक्त फतेह सिंह, गुरप्रीत सिंह, कुलदीप सिंह की हद तक शेष है, जो इस निर्णय के द्वारा पारित किया जा रहा है।

01– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 04–08–2014 के वक्त 11–00 एएम पर श्री इदरीश पुत्र हजारीखां, निवासी माचा पुलिस थाना किशनगढ जिला अलवर मय ट्रक खलासी सुनील कुमार पुत्र हरीराम जाति नाई निवासी

मांचा किशनगढ ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि वह ट्रक पर ड्राईवरी करता है। ट्रक नंबर आरजे 02 जी ए 7569 जो उसके चाचा के लड़के उस्मान के नाम सें है। जिसपर वह ड्राईवरी करता है। कल दिनांक 03-08-2014 को वह अलवर से पत्थर वाला पाउडर फतेहबाद लेकर आया था। ट्रक खाली होने पर वह ट्रक लेकर गंगानगर के लिये फतेहाबाद से रवाना हुआ था। उसके साथ ट्रक पर खलासी सुनील कुमार जो उसके गांव का ही साथ रहता है। उन्हे संगिरया पहुंचने पर नींद आनें लगी तो वह व सुनील दोनो संगरिया मण्डी में होटल के पास अपना ट्रक रोककर ट्रक में ही सो गये थे। सुबह करीब चार पौने चार बजे वह व सुनील उक्त ट्रक को लेकर संगरिया से गंगानगर के लिये रवाना हुये थे। करीब साढे चार पौने पांच बजे के करीब बुधरवाली के पास पहुंचे तो पीछे से एक इनोवा गाड़ी क्रोस कर ट्रक के आगे लगाकर बैटरी की लाईट देकर उसका ट्रक रूकवा लिया था। इनोवा गाड़ी के उपर नीली बत्ती लगी थी। इनोवा गाड़ी से एक लड़का खाखी पेन्ट शर्ट पहना उतरा जिसनें कहा गाड़ी के कागज लाओ। वह गाड़ी के कागज लेकर इनोवा गाड़ी के पास पहुंचा तो उससे इनोवा गाड़ी में सवार दो लड़को नें पकड़कर जबरदस्ती कागजात छिनकर गाड़ी में डाल लिया था। सुनील कुमार के साथ पैसे बतानें के लिए मारपीट किया। जिससे सुनील के सिर में चोट लगी। लुटेरों ने ट्रक में रखे किराये के रूपए 21900 व सुनील का मोबाइल नंबर 8875886756 भी छिन लिया था। सुनील को भी इनोवा गाड़ी में डाल लिया था। उनमें से एक आदमी ट्रक में सवार होकर उनका ट्रक चलानें लगा। इनोवा व ट्रक को वापिस सादुलशहर की तरफ घुमाकर लुटेरे उन्हे संगिरया की तरफ ले गये थे। उसे व सुनील के कपड़े से हाथ व पैर बांध कर एक ग्वार के खेत में फेंक कर भाग गये। इनोवा गाड़ी के पीबी नंबर की प्लेट लगी थी। आगे के नंबर वह नहीं देख पाया। इनोवा में करीब 4 से 5 आादमी मौजूद थे जिनकी उम्र करीब 20 से 35 वर्ष के बीच थी। सभी मुलिजमान पंजाबी भाषा बोल रहे थे। दाढी मुंछे नहीं थी। मुल्जिमान ट्रक सं0 RJ 02 GA 7569 ट्रक के तमाम मूल कागजात व उसका ड्राईविंग लाईसेंस, सेमसंग का मोबाइल सैट, 21900 रूपए नगदी लूट कर ले गये... ... ..इत्यादि। उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना सादुलशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 179/2014 अन्तर्गत धारा 394,34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त कुलदीप सिंह, फतेह सिंह, गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह के विरूद्ध धारा 394,34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण

के विरूद्ध उक्त धाराओ में प्रसंज्ञान लिया गया।

02- अभियुक्तगण को धारा 394/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथ्क से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए तो सुन-समझकर अभियुक्तगण नें आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

03- अभियोजन पक्ष् की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप पी0 डब्लयू 01 ईदरीश, पी.डब्लयू 02 उस्मान, पी.डब्लयू 03 तारांचद, पी.डब्लयू 04 सुनील कुमार, पी.डब्लयू 05 ओमप्रकाश, पी.डब्लयू 06 डा. श्यामलाल, पी.डब्लयू 07 सोनू कुमार, पी.डब्लयू 08 कुलदीप सिंह, पी.डब्लयू 09 सुरेन्द्र कुमार, पी.डब्लयू 10 सुरजीत सिंह, पी.डब्लयू 11 बिटटू, पी.डब्लयू 12 सुभाषचन्द्र, पी.डब्लयू 13 कैलाशशर्मा, पी.डब्लयू 14 गुलाबसिंह, पी.डब्लयू 15 दर्शन सिंह की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई और दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए:-

प्रदर्श क्रमांक	विवरण	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
प्रदर्श पी.1	प्रार्थना कायमी एफआईआर	प्रदर्श पी0 35	पत्र 3374 ट्रक के मालिकाना हक बाबत
प्रदर्श पी02	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी0 36	एफआईआर पीएस नंदगढ
प्रदर्श पी.3	फर्द शिनाख्तगी प्रतिवेदन	प्रदर्श पी0 37	नकल रूका एफआईआर हिन्दी अनुवाद
प्रदर्श पी.4	फर्द शिनाख्तगी प्रतिवेदन	प्रदर्श पी0 38	ट्रक के आरसी बाबत
प्रदर्श पी.5	फर्द शिनाख्तगी प्रतिवेदन	प्रदर्श पी0 39	ट्रक के आरसी बाबत हिन्दी अनुवाद
प्रदर्श पी.6 व 6ए	नक्शा मौका हालात मौका	प्रदर्श पी0 40, 41	रोजनामचा पीएस नदंगढ
प्रदर्श पी.7 व 7ए	नक्शा मौका हालात मौका	प्रदर्श पी0 42,43	मालखाना पीएस नंदगढ
प्रदर्श पी0 8	फर्द जब्ती ट्रक	प्रदर्श पी0 44	फर्द इतला मुल 0 कुलदीप सिंह
प्रदर्श पी0 09	ट्रक की आरसी	प्रदर्श पी0 45	फर्द इतला मुल 0 कुलदीप सिंह
प्रदर्श पी.10	बीमा	प्रदर्श पी0 46	फर्द गिरफतारी मुल 0 हरप्रीत सिंह
प्रदर्श पी.12	फर्द बरामदगी पीएस सदर गंगानगर	प्रदर्श पी0 47	फर्द इतला मुल 0 हरप्रीत सिंह
प्रदर्श पी. 13	एफआईआर पीएस सदर गंगानगर	प्रदर्श पी0 48	फर्द इतला मुलजिम हरप्रीत सिंह उर्फ बिटू

प्रदर्श पी.14	फर्द गिरफतारी एवं जामा व तलाशी अभियुक्त हरप्रीत सिंह	प्रदर्श पी0 49	फर्द गिरफतारी मुल 0 गुरप्रीत सिंह
प्रदर्श पी.15	फर्द गिरफतारी एवं जामा व तलाशी अभियुक्त कुलदीप उर्फ गुरदीप सिंह	प्रदर्श पी0 50 51	फर्द इतला मुल 0 गुरप्रीत सिंह
प्रदर्श पी0 16	पूछताछ नोट अभियुक्त हरप्रीत सिंह		
प्रदर्श पी0 17	पूछताछ नोट अभियुक्त हरप्रीत सिंह		
प्रदर्श पी0 18	आईआर सुनील कुमार		
प्रदर्श पी0 19	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम कुलदीप सिंह		
प्रदर्श पी0 20	फर्द निशानदेही घटनास्थ्ल		
प्रदर्श पी0 21 22	फर्द निशान देही मुल 0 हरप्रीत सिंह		
प्रदर्श पी0 22	फर्द निशानदेही		
प्रदर्श पी0 23 24	फर्द निशानदेही मुल 0 गुरप्रीत सिंह		
प्रदर्श पी0 24			
प्रदर्श पी0 25	फर्द बरामदगी मुल 0 हरप्रीत सिंह		
प्रदर्श पी0 26	नक्शा मौका हालात मौका		
प्रदर्श पी0 27 29	फर्द बरामदगी		
प्रदर्श पी0 28 व 28 ए 30	नक्शा मौका हालात मौका		
प्रदर्श पी0 31 ए	मालखाना रजिस्टर		
प्रदर्श पी0 32 34	उपखण्ड मजि0 सादुलशहर को शिनाख्तगी परेड बाबत पत्र		

04. बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गयाा। जिसमें अभियुक्त ने अपनी विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए मुकदमा झूठा दर्ज करवाये जाने व स्वयं के निर्दोष होने के कथन किए एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य

सफाई का अवसर बंद किया गया।

05. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य प्रश्न है किः

1. **क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04-08-2014 को सुबह चार पौने चार बजे सड़क आम मौजा नजद गांव बुधरवाली पुलिस थाना लालगढ जाटान में परिवादी ईदरीश व सुनील को ट्रक पर जाते हुए को आम रास्ता बुधरवाली में ट्रक को रूकवाकर एक साथ उन्हें लूटने के सामान्य आशय से रोककर उनके साथ मारपीट की और उनसे 21900 रूपए व सुनील का मोबाइल एवं ट्रक को छीन कर ले जाकर लूट कारित की और लूट कारित करनें में आपके द्ववारा ईदरिश व सुनील को स्वैच्छया साधारण उपहति कारित की?**
2. **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?**

06. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी नें तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोप में दोषसिद्धी किए जानें का निवेदन किया।

इसके विपरीत दौराने बहन विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क दिया कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। किसी भी गवाह नें अभियुक्तगण को लूट करते हुये नहीं देखा ना ही अभियुक्तगण की पहचान की गई है। अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को उक्त तर्को के आधार पर दोषमुक्त किए जानें का निवेदन किया।

07. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाए गए है। पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो साक्षी पी.ड.1 ईदरीश ने साक्ष्य में कथन किए हैं कि साल 2014 की बात है। उस समय वह ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 7569 जो कि उसके चाचा के लड़के उस्मान के नाम से आरसी थी। लेकिन इस का मालिक वह ही था और वह ही इस ट्रक को चलाता था। यह ट्रक इंडिया बुल्स कंपनी से फाईनेंस करवाया हुआ था। दिनांक 03.08.2014

को वह उसके उक्त ट्रक पर पत्थर वाला पाउडर लेकर अलवर सें फतेहाबाद आया था। उसके साथ उक्त ट्रक पर खलासी सुनील कुमार नाई उसके साथ था। फतेहाबाद में ट्रक खाली करके वे गंगानगर के लिये रवाना हुये। संगरिया मंडी में पहुंचे तो उन्हें नींद आनें लगी वहां उन्होंने ट्रक रोककर आराम किया और सुबह करीब पौने चार बजे वह और सुनील ट्रक लेकर संगरिया से गंगानगर के लिये रवाना हो गये। सुबह करीब साढे चार बजे वे जब बुधरवाली के पास पहुंचे तो पीछे से एक इनोवा गाडी ने क्रॉस करके ट्रक के आगे लगा ली और बैटरी से ट्रक रूकवाने का इशारा किया। इनोवा गाड़ी पर परिवहन विभाग की नीली बत्ती लगी हुई थी। उसने सोचा आरटीओ की गाड़ी है इसलिये उसने ट्रक रोक लिया। इनोवा गाड़ी में टोटल 4-5 जने थे। उनमें से एक जना खाकी पेन्ट शर्ट पहना हुआ उतरा और बोला कि गाड़ी के कागज दिखाओ। वह ट्रक के कागज लेकर उसके पास गया तो इनोवा गाड़ी में सवार दो जनों ने उसके को पकड़कर जबरदस्ती ट्रक के कागज छिन लिये और उसे जबरदस्ती पकड़कर इनोवा गाड़ी में डाल लिया और उसके हाथ पैर बांध दिये और साथ ही सुनील कुमार को ट्रक से उतारकर इनोवा गाड़ी में डाल लिया। सुनील से मारपीट करी। सुनील के सिर में चोटें मारी और ट्रक में रखे 21 हजार 900 रूपये व सुनील का मोबाइल छिन लिया। सुनील को इनोवा गाड़ी में बांधकर डाल लिया। फिर उनमें से एक आदमी उनका ट्रक पर सवार होकर एक इनोवा गाड़ी के पीछे-पीछे लगा लिया। उन लोगों के पास धारदार गंडासा व कापा था। फिर करीब एक डेढ़ किलोमीटर उन्हें इनोवा गाड़ी में डालकर ले आये और पीछे पीछे उनका ट्रक भी ले आये। फिर लुटेरे उन्हे संगरिया के पास उनके हाथ पैर बंधे हुये हालत में ग्वार के खेत में उसे व सुनील को पटक दिया और वापस इनोवा गाड़ी सादुलशहर की तरफ घुमाकर भाग गये और उनका ट्रक भी लूटकर ले गये। इनोवा गाड़ी पर पीबी नंबर की प्लेट लगी थी। उक्त मुलजिमान उसका ट्रक लूटकर ले गये। तथा सुनील का मोबाइल फोन सैमसंग व 21900/- रूपए लूटकर ले गये। ट्रक में उसके गाड़ी के कागजात भी थे। इस घटना बाबत उसने व सुनील ने पुलिस थाना लालगढ़ जाटान में मुकदमा दर्ज करवाया। उसके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी० 1 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस नें घटनास्थल का मुआयना किया। थाना में दर्ज एफआईआर की चाक प्रति प्रदर्श पी० 2 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस नें उसके बयान लिये थे। और उसका ट्रक नंदगढ थाना पुलिस नें बरामद किया था। उसके व सुनील के चोटें आई थी।

साक्षी पी.ड.02 उस्मान ने साक्ष्य में कथन किए हैं कि साल 2014 की

बात है। उस समय उसने एक ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 7569 खरीद किया था जिसकी आरसी उसके नाम से ही बनी हुई थी, लेकिन उक्त ट्रक उसके ताउ के बेटे इदरीश को बेच दिया। जिसकी लिखापढ़ी नही करवाई। उसके बाद ट्रक इदरीश रखने लगा और इसी ट्रक पर इदरीश ड्राईवरी करता था। जिसके साथ खलासी सुनील कुमार था। जब इदरीश और सुनील फतेहाबाद से माल खाली करके गंगानगर की तरफ आ रहे थे। तब बनवाली के पास लूटेरे में इदरीश का ट्रक रूपये और सुनील का मोबाइल लूट लिया। इस घटना बाबत इदरीश नें व सुनील नें मुकदमा दर्ज करवाया था और पुलिस नें वह ट्रक लुटेरों से बरामद किया था और लालगढ थाना में उसकी जब्ती तैयार करी । फर्द जब्ती ट्रक नंबर प्रदर्श पी० 8 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने न्यायालय से उक्त ट्रक सुपुर्दगी पर छुड़वा लिया था और उसके ट्रक की आरसी पुलिस को दी थी। आरसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी० 9 की बीमा पॉलिसी प्रदर्श पी० 10 पेश करी। साक्षी नें प्रतिपरीक्षा मे यह कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस नें उसके खाली कागजो पर साईन करवाए उसे याद नहीं है। गवाह नें इस बात की पुष्टि की है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी ना ही वह घटना के वक्त ट्रक में था।

साक्षी पी.ड.03 ताराचन्द ने साक्ष्य में कथन किए हैं कि दिनांक 22.09.2014 को वह पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर में एचसी के पद पर तैनात था। उस रोज वह, हेतराम एफसी, श्रवण सिंह एफसी, राजपाल एफसी जीप सरकारी मय डीआर वास्ते गश्त इलाका रवाना हुये थे तो राधा स्वामी डेरा के पास एक इनोवा गाड़ी नंबर सीएच 05 टी 5657 की तलाशी ली गई तो इस गाड़ी में सवार तीन व्यक्ति जो कि ड्राईवर हरप्रीत सिंह उर्फ मिन्टू पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं 0 13 अबोहर के कब्जा से एक धारदार गंडासा बरामद किया गया तथा इसी गाड़ी में सवार दूसरा व्यक्ति रमन कुमार उर्फ सन्नी पुत्र खेरातीलाल जाति अबरोल खत्री निवासी सीडफार्म कच्चा अजीतनगर अबोहर होना बताया जिसके कब्जा में भी एक धारदार गंडासा मिला। गाड़ी में सवार तीसरे व्यक्ति ने उसका नाम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रायसिख निवासी सीडफार्म कच्चा अजीतनगर अबोहर होना बताया। जिसके कब्जा में भी एक धारदार गंडासा मिला। तीनों मुलजिमान के पास धारदार हथियार कब्जा में रखने बाबत लाइसेंस व परमिट नहीं होने पर धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में फर्द तैयार कर तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया और धारदार गंडासे बतौर वजह सबूत व इनोवा गाड़ी मय गाड़ी के कागजात जरिये फर्द बरामद किये गये।

फर्द बरामदगी तीन धारदार गंडासे अजाने मुलजिमान हरप्रीत सिंह उर्फ बिटटू उर्फ मिन्टू रमन कुमार उर्फ सन्नी, कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह दिनांकित 22.09.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी० 12 है जिसपर ए से बी वह जब्तीकर्ता, सी से डी हेतराम, ई से एफ श्रवण एफसी, जी से एच मुल० कुलदीप उर्फ गुरदीप, आई से जे मुल० रमन, के से एल मुल० हरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। उसने थाना पहुंच उक्त फर्द बरामदगी तत्कालीन एसएचओ दिनेश राजोरा के समक्ष पेश करी, जिसके आधार पर पीएस सदर श्रीगंगानगर में एफआईआर सं० 343/2014 दर्ज कर तफतीश रमेश सरवटा एसआई को सुपुर्द की गई। एफआईआर नं0 343/2014 पीएस सदर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी० 13 है, जिसपर ए से बी उसके, सी से डी दिनेश राजोरा सीआई के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी मुल० हरप्रीत सिंह उर्फ मिन्टू की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी० 14 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी मुल० कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी० 15 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम हरप्रीत उर्फ मिन्टू की पूछताछ नोट की प्रमाणित फर्द प्रदर्श पी० 16 मुल० बिटटू उर्फ हरप्रीत के पूछताछ नोट प्रमाणित फर्द प्रदर्श पी० 17 है, जिसपर ए से बी आईओ रमेश सरवटा के हस्ताक्षर है। उक्त कागजात का प्रमाणित रिकार्ड पुलिस थाना लालगढ जाटान में दर्ज मुकदमा नं. 179/2014 के अनुसंधान अधिकारी गुलाब सिंह एसएचओ को सुपुर्द किये गये थे। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह कथन किए है कि एफआईआर सं0 174/2014 पुलिस थाना लालगढ जाटान में अभियुक्तगण से उसकी कोई बरामदगी नहीं है।

साक्षी पी.ड.04 सुनील कुमार ने साक्ष्य में कथन किए हैं कि घटना वर्ष 2014 की है। उस समय वह ट्रक सं० आर जे 02 जी ए 7569 पर खलासी था। उक्त ट्रक उनके गांव के ईदरीश पुत्र हजारी खां मुसलमान का था। ईदरीश इसी ट्रक पर ड्राईवर था। दिनांक 03.08.2014 को वह और ईदरीश इस ट्रक पर अलवर सें पत्थर वाला पाउडर फतेहाबाद गये थे। वहां से ट्रक खाली करके वे फतेहाबाद से गंगानगर के लिये रवाना हुये। संगरिया पहुंचने पर उन्हें नींद आने लगी वहां उन्होंने होटल पर रेस्ट करके सुबह करीब पौने चार बजे संगरिया से गंगानगर के लिये रवाना हुये। करीब साढे 4 बजे सुबह वे बुधरवाली के पास पहुंचे तो पीछे से इनोवा गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक करके उनके ट्रक के आगे लगाकर रूकवा ली। इनोवा गाड़ी के उपर नीली बत्ती लगी हुई थी उन्होंने सोचा कि परिवहन विभाग की गाड़ी है इसलिये उन्होंने ट्रक को रोक लिया। फिर इनोवा

गाड़ी में से खाकी पेन्ट शर्ट पहने एक लड़का उतरा जिसने ईदरीश से ट्रक के कागज दिखाने के लिये कहा ईदरीश कागज लेकर इनोवा गाड़ी के पास पहुंचा तो इनोवा गाड़ी में पीछे की सीट पर आदमी बैठे थे जिन्होने ईदरीश को जबरदस्ती पकड़कर इनोवा गाड़ी में डाल लिया और दो आदमी उसके पास आए और उसे ट्रक में से नीचे उतार लिया। उसको पकड़ लिया और इनोवा गाड़ी में से उतरे इन दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट करी। उसके सिर में धारदार कापा की चोट मारी और उसे बोला की कि ट्रक में रूपए कहां छिपा कर रखे है जल्दी निकालकर और उसके साथ मारपीट करके ट्रक में रखे 21 हजार 900 रूपए लूट लिये और उसका सैमसंग मोबाइल मय सिम नंबर 8875886756 छिन लिया और उसको भी इनोवा गाड़ी में जबरन डाल लिया और उनमें से एक आदमी उनके ट्रक पर सवार होकर ट्रक चलाकर ले गया और इनोवा गाड़ी में उसे व ईदरीश को डालकर रवाना हो गये। उनका एक साथी पीछे-पीछे उनका ट्रक चलाकर आने लगा। करीब एक किलोमीटर इनोवा गाड़ी के साथ-साथ चले। उसके बाद इनोवा में सवार मुलजिमान ने ईदरीश से पूछा कि उनके ट्रक में डीजल कितना है ईदरीश नें बोला कि 100 लीटर है उसके बाद वे लोग इनोवा को वापिस सादुलशहर की तरफ घुमाकर उन्हें संगरिया की तरफ ले जाने लगे। उसे व ईदरीश को जबरदस्ती गर्दन पकड़कर सीटों के नीचे दबाकर पकड़ा हुआ था और उनके हाथ पैर कपड़े के साफे से बांध दिये और उन्हें किसी ग्वार के खेत में फेंककर इनोवा गाड़ी सवार मुलजिमान भाग गये और उनका ट्रक, रूपये व उसका मोबाइल फोन लूटेरे लूट कर ले गये। इनोवा गाड़ी के पीबी नंबरो की नबंर प्लेट लगी हुई थी। इनोवा में करीब 5 आदमी मौजूद थे। जो सभी पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे। फिर उजाला होने पर सुबह किसी खेत वाले ने उन्हें देखा और हाथ पैर खोले। फिर इस घटना बाबत उसने व ईदरीश नें मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस थाना लालगढ जाटान में मुकदमा दर्ज करवाया। थाना में पेश प्रार्थना पत्र वास्ते कायमी मुकदमा प्रदर्श पी० 1 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी० 1 के आधार पर पुलिस थाना लालगढ़ जाटान में दर्ज एफआईआर की चाक प्रति प्रदर्श पी० 2 है। उनका जो ट्रक लूटा गया था वो ईदरीश का था। ट्रक की आरसी ईदरीश के चाचा के लड़के उस्मान के नाम से थी। पुलिस ने उसके बयान लेखबद्ध किये थे। उसकी चोट का मेडीकल मुआयना हुआ था। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी० 18 है। पुलिस ने उनसे लूट करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया और उनके लूटे गये ट्रक के टायर बरामद किये थे और ईदरीश व उससे लूटेरों की पहचान करवाई गई थी। उसने

व ईदरीश ने लूटेरों को सही पहचान किया था। नक्शा मौका हालात नौका घटनास्थल जहां उनके साथ लूट व मारपीट की वारदात हुई पुलिस ने तैयार किया जो प्रदर्श पी० 6 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व नक्शा मौका हालात मौका घटनास्थल जहां उनके हाथ पैर बांधकर मुलजिमान पटक गये थे। वह प्रदर्श पी० 7 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह कथन किए है कि नक्शा मौका पुलिस नें किस दिनांक को बनाया था वह उसे याद नहीं है। पुलिस नें उसके कोई बयान नहीं लिये जहां से उसका ट्रक चोरी हुआ था उस स्थान/गांव का नाम उसे याद नहीं है। वह ट्रक में जाग रहा था, सो नही रहा था, चोरों ने ट्रक को उससे छीनकर उसके साथ जबरदस्ती कर भाग गये थे। चोरो नें अपनी कार उसके ट्रक के साथ-साथ चल रहे थे। फिर उन्होंने किसी भी गवाह को आवाज नहीं मारी थी। उसे कार के नंबर ध्यान नहीं है।

साक्षी पी.ड.5 ओमप्रकाश ने कथन किए हैं कि दिनांक 07.10.2014 को वह पुलिस थाना लालगढ जाटान में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा नं0 179/2014 के आईओ गुलाब सिंह एसएचओ ने मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह को उसके व रमेश कुमार एफसी के समक्ष गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफतारी मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह प्रदर्श पी० 19 है। जिसपर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम गुरदीप के हस्ताक्षर है। इसी क्रम में आईओ नें उक्त गिरफ्तारशुदा मुलजिम कुलदीप उर्फ गुरदीप की इत्तला व निशानदेही से उस स्थान का जहां से परिवादी का ट्रक लूटा गया था अण्डरब्रीज के पास पुलिया सादुलशहर से बनवाली रोड की तस्दीक करवाकर निशानदेही घटनास्थल तैयार की थी, जो प्रदर्श पी० 20 है, जिसपर ए से बी उसके, सी से डी गुरदीप के हस्ताक्षर है। इसी क्रम में आईओ नें गिरफ्तारशुदा मुलजिम हरप्रीत सिंह उर्फ बिटू की निशानदेही से घटनास्थल की तस्दीक करवाई। फर्द तस्दीक घटनास्थल अजाने मुलजिम हरप्रीत उर्फ बिटू प्रदर्श पी० 21 है, जिसपर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम हरप्रीत के हस्ताक्षर है। इसी क्रम में आईओ ने मुलजिम हरप्रीत की इत्तला से फर्द तस्दीक घटनास्थल जहां पर ट्रक चालक व खलासी को हाथ पैर बांधकर छोड़ा गया गिरफ्तारशुदा मुलजिम हरप्रीत की निशानदेही से तस्दीक करवाई। फर्द तस्दीक निशानदेही घटनास्थल जहां खलासी व चालक को हाथ पैर बांधकर छोडा प्रदर्श पी० 22 है, जिसपर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम हरप्रीत के हस्ताक्षर है। इसी क्रम में आईओ ने गिरफ्तारशुदा मुलजिम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा की इत्तला व निशानदेही से घटनास्थल लूट स्थल की तस्दीक करवाकर फर्द तस्दीक तैयार करी, जो प्रदर्श पी० 23

है जिसपर ए से बी उसके सी से डी मुलजिम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा के हस्ताक्षर है। मुलजिम गुरप्रीत उर्फ गोरा की निशानदेही से उस स्थान की तस्दीक करवाई, जहां चालक व खलासी को हाथ पैर बांधकर छोडा गया था। फर्द निशानदेही से घटनास्थल हाथ पैर बांधकर छोडने का अजाने मुलजिम गुरप्रीत उर्फ गोरा प्रदर्श पी024 है, जिसपर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम गुरप्रीत के हस्ताक्षर है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह कथन किए है कि मुल्जिमान कुलदीप और गुरदीप की गिरफतारी पुलिसथाना लालगढ जाटान में की गई थी। गवाह नें इस बात की पुष्टि की है कि मुल्जिमान को जेल के बाहर गिरफ्तार नहीं दिखाया गया थाने में लाकर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया था। उसके सामनें गिरफतारी की सूचना मुल्जिमान के परिवारवालों को अलग से सूचना दी या नहीं उसे मालूम नहीं है। घटनास्थल बुधरवाली अण्डरब्रीज के पास था। घटना कब घटी उसे इस बात की जानकारी नहीं है दिन में घटी या रात को ये भी उसे मालूम नहीं है। गवाह नें इस बात की पुष्टि की है कि घटनास्थल निशानदेही के आसपास लोगो के खेत है। खेत में उस समय लोग काम कर रहे थे लेकिन मौका पर गवाह बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। घटनास्थल पर हाथ पैर बांधने वाले कपड़े के साफे या रस्से की कोई बरामदगी नहीं की गई तथा लूट की गई राशि नहीं मिली तथा ना ही लूट की गई राशि बरामद हुई।

साक्षी पी.ड.6 श्यामलाल ने कथन किए हैं कि वर्ष 2014 की बात है। लालगढ़ जाटान थाना की पुलिस मुलजिम हरप्रीत उर्फ बिटू की निशानदेही से उसके रिहायशी मकान पंचपीर नगर गली नं0 5 में से कमरा के अन्दर से बैड के नीचे रखे चार ट्रक के टायर बरामद किये। फर्द बरामदगी चार टायर ट्रक अजाने मुलजिम हरप्रीत सिंह उर्फ बिटू प्रदर्श पी० 25 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका हालात मौका बरामदगी स्थल रिहायशी मकान मुलजिम हरप्रीत उर्फ बिटू प्रदर्श पी0 26 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने यह कथन किए है कि उसके सामनें गुरप्रीत व कुलदीप सिंह से कोई बरामदगी नहीं हुई और ना ही वह उनको जानता है।

साक्षी पी.ड.7 सोनू ने कथन किए हैं कि वर्ष 2014 की बात है। लालगढ़ जाटान थाना की पुलिस मुलजिम हरप्रीत उर्फ बिटू की निशानदेही से उसके रिहायशी मकान पंचपीर नगर गली नं० 5 में से कमरा के अन्दर से बैड के नीचे रखे चार ट्रक के टायर बरामद किये। फर्द बरामदगी चार टायर ट्रक अजाने मुलजिम हरप्रीत सिंह उर्फ बिटू प्रदर्श पी० 25 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका हालात मौका बरामदगी स्थल रिहायशी मकान मुलजिम हरप्रीत उर्फ बिटू प्रदर्श पी० 26 पर सी से डी

उसके हस्ताक्षर है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह कथन किए है कि उसके सामनें गुरप्रीत व कुलदीप सिंह से कोई बरामदगी नहीं हुई और ना ही वह उनको जानता है।

साक्षी पी.ड.8 कुलदीप सिंह ने कथन किए हैं कि आज से करीब 11 साल पहले पुलिस ने फर्द बरामदगी एवं टायर मय लोहे का रिम सहित आजाने मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह की फर्द जो प्रदर्श पी 27 से है, पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाए व नक्शा मौका हालात मौका बरामदगी स्थल रिहायशी मकान मुलाजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह प्रदर्श पी-28 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाए थे। पुलिस ने उसे डराया धमकाया नहीं था। मुलजिम कुलदीप उर्फ गुरदीप उसके मोहल्ले पड़ोस का निवासी था। उसके हस्ताक्षर गुलाब सिंह थानेदार ने उनके मोहल्ले में आकर करवाए थे। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह भी कथन किए है कि उसके सामनें कोई रिम लोहे का किसी मुल्जिम से बरामद नहीं हुआ। उसके हस्ताक्षर पुलिस नें खाली कागजात पर करवाए थे। उसके सामनें एक टायर मय रिम किसी मुल्जिम से बरामद नहीं हुआ। वह किसी मुल्जिम को नहीं जानता।

साक्षी पी.ड.9 सुरेन्द्र सिंह ने कथन किए हैं कि आज से करीब 11 साल पहले पुलिस ने पूर्व बरामदगी एक टायर ट्यूब रिम ट्रक की व दो बड़ी बैटरियां अजाने मुलिजाम गुरप्रीत उर्फ गौरा सिंह जो प्रदर्श पी-29 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगुठा लगवाया। पुलिस ने नक्शा मौका हालात मौका बरामदगी स्थल टायर मय रिम दो बैटरियां अजाने मुल्जिम गुरप्रीत उर्फ गौरा सिंह प्रदर्श पी-30 पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा लगवाया था। यह सही है कि गुरप्रीत उर्फ गौरा उसका मोहल्ले का पड़ोसी है। यह सही है कि पुलिस ने उनके मोहल्ले में आकर ही प्रदर्श पी 29 व 30 पर अंगुठा लगवाए थे। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने यह कथन किए है कि गुरप्रीत उर्फ गोरा उसके मोहल्ले का पड़ोसी है। इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस नें उनके मोहल्ले में आकर ही प्रदर्श पी0 29 व 30 पर अगूंठा करवाए थे। इस तथ्य को गलत बताया कि पुलिस नें मुल्जिम गुरप्रीत उर्फ गौरा के रिहायशी मकान में से एक ट्रक का टायर मय रिम व टयूब हवा भरी हुई व दो बड़ी बैटरियां उसके समक्ष बरामद कर प्रदर्श पी0 29 व 30 पर उसका अगूंठा करवाया हो। उसके सामनें गुरप्रीत उर्फ गौरा से एक टायर, रिम ट्रक की दो बड़ी बैटरियां बरामद नहीं की। प्रदर्श पी. 29 पर जो उसका अगूंठा है वह खाली कागजात पर करवाया था।

साक्षी पी.ड.10 सुरजीत सिंह ने कथन किए हैं कि आज से करीब 11 साल पहले पुलिस ने पूर्व बरामदगी एक टायर ट्यूब रिम ट्रक की व दो बड़ी बैटरियां

अजाने मुलिजाम गुरप्रीत उर्फ गौरा सिंह जो प्रदर्श पी-29 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाए। पुलिस ने नक्शा मौका हालात मौका बरामदगी स्थल टायर मय रिम दो बैटरियां अजाने मुल्जिम गुरप्रीत उर्फ गौरा सिंह प्रदर्श पी-30 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाए। यह सही है कि गुरप्रीत उर्फ गौरा उसका हल्के का पड़ोसी है। यह सही है कि पुलिस ने उनके मोहल्ले में आकर ही प्रदर्श पी 29 व 30 पर हस्ताक्षर करवाए थे। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह कथन किया है कि उसके सामनें गुरप्रीत उर्फ गौरा से एक टायर टयूब मय रिम ट्रक व दो बड़ी बैटरियां बरामद नहीं की गई। प्रदर्श पी0 29 पर उसके खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसके सामनें पुलिस नें उसे कोई पढकर नहीं सुनाया और ना ही उसके सामनें कोई नक्शा मौका बनाया। प्रदर्श पी 0 30 पर उसके व सुरेन्द्र के खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसके सामनें गुरप्रीत उर्फ गौरा के रिहायशी मकान सें कोई बरामदगी नहीं की।

साक्षी पी.ड.11 बिटु उर्फ मिठु ने कथन किए हैं कि आज से करीब 11 साल पुरानी बात है। वह कच्चा सीड फार्म अजीत नगर सरकारी स्कूल के पास अबोहर में दिहाड़ी के काम में मकान निर्माण के काम में दिहाड़ी लगा हुआ था तब पुलिस ने मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह रायसिख के रिहायशी मकान में से कुलदीप सिंह की निशानदेही से एक ट्रक का टायर मय रिम बरामद किया था। जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-27 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका हालात मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-28 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने यह भी कथन किए है िक पुलिस नें उसके खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसके सामनें प्रदर्श पी0 27 व 28 की फर्दे नहीं बनाई गई और ना ही उसके सामनें टायर व रिम की किसी घर से बरामदगी की गई। वह तो दिहाड़ी मजदूरी करता है तथा मुल्जिमान को नहीं जानता है। मुल्जिम कुलदीप के घर से कोई टायर व रिम की बरामदगी नहीं हुई।

साक्षी पी.ड.12 सुभाषचंद्र ने कथन किए हैं कि दिनांक 28.08.2014 को वह पुलिस थाना लालगढ़ जाटान में मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात था । उस रोज मुकदमा नं 197/14 धारा 394, 34 आईपीसी के अनुसंधान अधिकारी गुलाब सिंह एसएचओ ने इस मुकदमा में बरामदशुदा एक ट्रक नंबर RJ 02 GA 7569 वास्ते जमा करवाने मालखाना उसे सुपुर्द किया और इसी प्रकरण में दिनांक 12.10.2014 को एक टायर ट्रक मय लोहे का रिम सहित वास्ते जमा करवाने मालखाना उसे सुपुर्द किया । दिनांक 28.08.2014 को जब्तशुदा एक उसने मालखाना में जमा कर मूल मालखाना

रजिस्टर प्रदर्श पी -31 के क्रम संख्या 114/305 पर ए से बी इन्द्राज किया। उक्त ट्रक न्यायालय के आदेश से परिवादी उस्मान को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जिसका इन्द्राज सी से डी हिस्सा में अंकित है, ई से एफ गुलाब सिंह एसएचओ के हस्ताक्षर है। दिनांक 12.10.2014 को जो टायर मय रिम आईओ ने उसे सुपुर्द किया, उसका इन्द्राज प्रदर्श पी 31 के क्रम संख्या 151/342 पर ए से बी हिस्सा में दर्ज है। इसी क्रम में दिनांक 18.10.2014 को ट्रक के कुल चार टायर जिनमें 2 MRF कंपनी के व 2 अन्य जेके कंपनी के वास्ते जमा करवाने मालखाना सुपुर्द किए जिसका इन्द्राज उसने प्रदर्श पी-31 के हिस्सा ई में दर्ज किया। इसी क्रम में दिनांक 01.11.2014 को एक ट्रक का टायर मय रिम व ट्यूब तथा दो बड़ी बैटरियां सफेद लाल रंग की आईओ गुलाब सिंह ने वास्ते जमा करवाने मालखाना सुपुर्द किया जिसका इन्द्राज उसने प्रदर्श पी-31 के क्रम संख्या 3 व 4 पर जी से एच हिस्सा में दर्ज किया। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्रदर्श पी-31 ए है, जिस पर ए से बी समस्त माल वजह सबूत का अंकन सी से डी एसएचओ/आईओ गुलाब सिंह के हस्ताक्षर है। जब तक वजह सबूत उसके कब्जा नियंत्रण में रहा शील्ड व सुरक्षित हालत में रहा । दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह कथन भी किया है कि इस मुकदमा के रोज मालखाना में एक ही वजह सबूत जमा किया था इसके अलावा उसनें दो अन्य मुकदमों के वजह सबूत जमा किए थे। टायर व रिम पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम अंकित नही था। ना ही इस पर परिवादी का नाम अंकित था। रिम व टायर आम दुकानों पर व कबाड़ की दुकान पर मिल जाते है। इस बात की पुष्टि भी की है कि एमआरएफ कंपनी व जेके कंपनी के टायर आम दुकान पर उपलब्ध है। ट्रक नंबर कौन से के टायर व रिम के थे उसे पता नही है।

साक्षी पी.ड. 13 कैलाश चंद्र ने कथन किए हैं कि दिनांक 31.10.2014 को वह उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के पद पर तैनात था। उस रोज उसने पुलिस थाना लालगढ़ जाटान में दर्ज प्रकरण संख्या 179/14 धारा 394, 34 आईपीसी में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण हरप्रीत सिंह उर्फ बिट्टु पुत्र सोहन सिंह उम्र 29, जाति मजबी सिख, निवासी गली नं० 05, अबोहर की शिनाखतगी केन्द्रीय काराग्रह श्रीगंगानगर में प्रकरण के परिवादी इदरीश पुत्र हजारी खां जाति मुसलमान निवासी मांचा तहसील किशनगढ़ जिला अलवर से बरूबरू कारापाल केन्द्रीय काराग्रह गंगानगर के समक्ष करवाकर शिनाखतगी प्रतिवेदन तैयार किया था। परिवादी ने अभियुक्त हरप्रीत उर्फ बिट्टू को सही पहचान किया। शिनाखतगी प्रतिवेदन मुलजिम हरप्रीत सिंह उर्फ बिट्टू प्रदर्शपी-

03 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर ए से बी परिवादी इदरीस, ई से एफ कारापाल केन्द्रीय काराग्रह गंगानगर के हस्ताक्षर है। दिनांक 05.11.2014 को उसने इसी प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ गौरा सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति मजबी सिख उम्र 25. निवासी अजीत नगर, अबोहर की शिनाखतगी केन्द्रीय काराग्रह श्रीगंगानगर में प्रकरण के परिवादी इदरीस पुत्र हजारी खा जाति मुसलमान निवासी मांचा तहसील किशनगढ़ जिला अलवर से बरूबरू कारापाल केन्द्रीय काराग्रह गंगानगर के समक्ष करवाकर शिनाखतगी प्रतिवेदन तैयार किया था। परिवादी ने अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ गौरा को सही पहचान किया। शिनाखतगी प्रतिवेदन मुलजिम गुरप्रीत सिंह उर्फ गौरा प्रदर्शपी-04 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर, ए से बी परिवादी इदरीस, ई से एफ कारापाल केन्द्रीय काराग्रह गंगानगर के हस्ताक्षर है। इसी क्रम में उसने दिनांक 19.12.2014 को इसी प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रायसिख उम्र 28, निवासी कच्चा सीड फार्म, अबोहर की शिनाखतगी केन्द्रीय काराग्रह श्रीगंगानगर में प्रकरण के परिवादी इदरीस पुत्र हजारी खां जाति मुसलमान निवासी मांचा तहसील किशनगढ़ जिला अलवर से बरूबरू कारापाल केन्द्रीय काराग्रह गंगानगर के समक्ष करवाकर शिनाखतगी प्रतिवेदन तैयार किया था। शिनाखतगी प्रतिवेदन मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह प्रदर्शपी-05 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर, ए से बी परिवादी इदरीस, ई से एफ कारापाल केन्द्रीय काराग्रह गंगानगर के हस्ताक्षर है। उक्त तीनों अभियुक्तगण का शिनाखतगी प्रतिवेदन मय रिकोर्ड मन उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वास जरिए फोरवर्डिंग लैटर श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सादुलशहर को प्रेषित किया गया, जिसका फोरवर्डिंग लैटर प्रदर्शपी 32, प्रदर्शपी 33 व प्रदर्शपी 34 है, जिन पर ए से बी मन उपखण्ड मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें यह कथन किया है कि वह ईदरीश का नाम उसे पुलिस नें बताया था व उन्होने ही उसकी शिनाख्त की थी। उसनें ईदरीश का कोई आधार कार्ड देखा हो तो उसे याद नहीं है। मुल्जिमान के एड्रेस पहचान कारागार जेलर द्ववारा किए गए। उसे इस बात ध्यान नही है कि मुल्जिमान को शिनाख्त परेड से पहले पुलिस नें परिवादी ईदरीश को दिखा दिए हो। शिनाख्त के समय मुल्जिमान के चेहरे पर कपड़ा नहीं था व बापर्दा पेश नहीं किए थे। उसके सामनें पुलिस नें कोई फर्दात तैयार नहीं की।

साक्षी पी.ड.14 गुलाब सिंह ने कथन किए हैं कि दिनांक 04.08.2014 को वह पुलिस थाना लालगढ़ जाटान में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज

वक्त 11:00 एएम पर इदरीश ने हाजिर थाना होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र वास्ते करने कार्यवाही उसके समक्ष प्रस्तुत किया। उसकी चोटों का नजरी मुलायजा किया गया एवं नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश उसके द्वारा प्रारंभ की गई। प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी इदरीश के हस्ताक्षर, सी से डी खलासी सुनील ई से एफ उसके हस्ताक्षर एवं जी से एच कायमी FIR पृष्ठांकन है। FIR प्रदर्श पी-02 है, जिस पर ए से बी इदरीश एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पहुंच मकान मुलजिम कुलदीप सिंह के घर का नक्शा मौका बरामदगी स्थल तैयार किया। जिला परिवहन अधिकारी अलवर को ट्रक नंबर RJ 02 GA 7569 के बारे में सूचना मांगी गई। जिसकी तहरीर प्रदर्श पी 35 है, जिस पर ए से की उसके हस्ताक्षर, सी से डी जिला परिवहन अधिकारी का जवाब एवं ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। वाहन के कागजात की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली पत्र की, जो प्रदर्श पी-09 व प्रदर्श पी 10 है। थाना नंदगढ़, जिला बठिण्डा में दर्ज हुई एफआईआर संख्या 52/2014 की प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 36 है। उक्त FIR पंजाबी में होने पर उसका हिंदी अनुवाद उसके द्वारा किया गया जो प्रदर्श पी-37 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। ट्रक के संबंध में मालुमात हेतु प्राप्त पीएस नंदगढ़ की रिपोर्ट की फोटोप्रति का हिंदी अनुवाद उसके द्वारा किया गया। जो प्रदर्श पी 38 व प्रदर्श पी 39 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। थाना नंदगढ़ से प्राप्त रोजनामचे की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी-40 है, जिसकी हिंदी अनुवाद उसके द्वारा किया जो प्रदर्श पी-41 है, जिस पर ए में बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस थाना नंदगढ़ से प्राप्त मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी-42 है जिसका हिंदी अनुवाद उसके द्वारा किया गया। जो प्रदर्श पी-43 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चोट प्रतिवदन सुनील कुमार प्रदर्श पी-18 शामिल पत्रावली किया गया जिस पर ए से बी डॉ महेश कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह नियमित अनुसंधान में उनसे चोट प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पहचानता है। ट्रक नंबर RJ 02 GA 7569 को जरिये फर्द जब्ती किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी-08 है, जिस पर ए से बी असलम, सी से डी उस्मान, ई से एफ हजारी एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर है। श्रीगंगानगर सदर थाना से प्राप्त FIR नंबर 343/14 की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी 13 है एवं उक्त प्रकरण में ही अनुसंधान में की गई फर्द गिरफ्तारी की फर्द की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम कुलदीप की गिरफ्तारी की फोटोप्रति प्रदर्श पी 15 है,

जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। हरप्रीत सिंह की पूछताछ रिपोर्ट सदर थाने से प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी-16 व 17 है एवं उक्त प्रकरण में ही की गई बरामदगी की फर्द शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी-12 है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह प्रदर्श पी-19 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी रमेश, ई से एफ गुरदीप सिंह के इस्ताक्षर है व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम कुलदीप सिंह द्वारा दी गई फर्द इतिला प्रदर्श पी-44, जिस पर ऐ से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम गुरदीप सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द निशानदेही घटना स्थल मुलजिम कुलदीप सिंह प्रदर्श पी-20 है, जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी मुलजिम गुरदीप, ई से एफ एफसी ओमप्रकाश व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम कुलदीप सिंह द्वारा टायर मय रिम के संबंध में दी गई इतिला प्रदर्श पी-45 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिम कुलदीप सिंह के निशानदेही से उसके मकान से की गई बरामदगी की फर्द प्रदर्श पी -27 है, जिस पर ए से बी कुलदीप सिंह, सी से डी बिट्टू, ई से एफ उसके एवं जी से एच कुलदीप सिंह के हस्ताक्षर है। उक्त बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-28 है, जिस पर ए से बी कुलदीप, सी से डी बिट्टू, इ से एफ उसके, जी से एच गुरदीप सिंह के हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी -28 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम हरप्रीत सिंह उर्फ बिट्टू की फर्द गिरफ्तारी उसके द्वारा तैयार की गई जो प्रदर्श 46 है। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी रमेश और ई से एफ अमीलाल सिंह, जी से एच हरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर है। हरप्रीत सिंह द्वारा दी गई घटना स्थल के संबंध में इतिला प्रदर्श पी-47 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी हरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द निशानदेही घटनास्थल मुलजिम हरप्रीत सिंह प्रदर्शपी 21 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी हरप्रीत सिंह, ई से एफ सूरजभान, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द निशानदेही घटनास्थल ट्रक चालक व खिलासी के हाथ पैर बाँधकर गेरना प्रदर्श पी-22 है, जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी हरप्रीत, ई में एफ सूरजभान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। ट्रक टायर बाबत दी गई हरप्रीत सिंह की फर्द इतिला प्रदर्श पी-48 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी हरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी टायर ट्रक के कुल चार प्रदर्श पी-25 है, जिस पर ए से बी श्यामलाल,सी से डी सोनू, ई से एफ हरप्रीत एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-26 है, जिसमें ए से बी श्यामलाल, सी से डी सोनू, ई से एफ हरप्रीत, जी से एच उसके इस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श

पी-26 ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम गुरप्रीतसिंह. प्रदर्श पी- 49 है जिसपर ए से बी उसके, सी से डी अंग्रेज सिंह, ई से एफ सुरेश, जी से एच गुरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द इत्तला मुलजिम गुरप्रीत सिंह प्रदर्श पी० 50 है, जिसपर ए से बी उसके, सी से डी गुरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द इत्तला वरवक्त घटनास्थल मुलजिम गुरप्रीत सिंह प्रदर्श पी० 51 है ,जिसपर ए से बी उसके, सी से डी गुरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द निशानदेही घटनास्थल मुलजिम गुरप्रीत सिंह प्रदर्श पी० 23 एवं फर्द निशानदेही घटनास्थल ट्रक चालक एवं खलासी को हाथ पैर बांधकर छोड़ा गया प्रदर्श पी० 24 है। जिसपर क्रमशः ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी गुरप्रीत सिंह, ई से एफ रमेश कुमार व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम गुरप्रीत सिंह उर्फ गौरां की निशानदेही से उसके रिहायशी मकान से प्राप्त एक टायर मय ट्यूब रिम व दो बड़ी बैटरियां की फर्द प्रदर्श पी० 29 है जिसपर ए से बी सुरजीत सिंह के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर सुरेन्द्र सिंह की अगूंठा निशानी, सी से डी गुरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी० 30 है। जिसपर एक्स स्थान पर सुरेन्द्र सिंह की अगूंठा निशानी, सी से डी गुरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी० 30 ए है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान की शिनाख्तगी के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित फोटोप्रतियां प्रदर्श पी० 3,4,5 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी० 31 ए है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाहान ईदरीश, सुनील कुमार, दर्शन सिंह, जसवीर सिंह, के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी० 6 है जिसपर ए से बी ईदरीश, सी से डी सुनील, ई से एफ जफरूददीन, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी० 6 ए है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका ए उसके द्वारा तैयार किया गया। जो प्रदर्श पी० 7 है, जिसपर ए से बी ईदरीश, सी से डी सुनील, ई से एफ जफरूददीन, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी० 7 ए है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही प्रदर्श पी० 32, 33, 34 एवं 3, 4, 5 शामिल पत्रावली की गई। उसके सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह, हरप्रीत सिंह उर्फ बिटटू, गुरप्रीत सिंह उर्फ गौरां के विरूद्ध जुर्म धारा 394/34 आईपीसी एवं अभियुक्ता फतेह सिंह पुत्र राजा सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 394/34 आईपीसी में प्रमाणित पाये जाने पर कुलदीप, हरप्रीत, गुरप्रीत के विरूद्ध आरोप पत्र जुर्म

धारा 394/34 आईपीसी एवं फतेह सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 394/34 आईपीसी, 299 सीआरपीसी में लंबित रखते हुये आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने यह भी किए है कि प्रदर्श पी.1 उसे दिनांक 04-08-2014 को एक मुसलमान व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे गया था। उसका नाम, उसका गांव व जिल उसे याद नहीं है। ट्रक के नंबर 9975 थे। ट्रक की आरसी किसके नाम से थी उसे याद नही है। ट्रक का चालक कौन था, कौनसे गांव का था, कौनसे जिले का था उसे याद नहीं है। ट्रक मालिक और ट्रक के चालक के नंबर क्या थे उसे याद नहीं है। गवाह नें जाहिर किया कि उसका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब रहता है तथा वह चलनें फिरनें में भी असमर्थ है। उसकी याददाश्त भी काफी कमजोर है। बरामदगी स्थल पर मौके पर कौन आया था उसे उनके नाम भी आज याद नहीं है, साथी कर्मचारियों में से थे। कुलदीप व अन्य मुल्जिमान से क्या-2 बरामद किया था वरवक्त साक्ष्य उसे अलग-2 बरामदगीयां याद नहीं है। ये बात सही है कि वजह सबूत पर एफआईआर सं0 नहीं लिखी है क्योकि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। फतेह सिंह से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई। मुल्जिम फतेह सिंह को कितनी तारीख को गिरफ्तार किया था उसे वरवक्त साक्ष्य याद नहीं है। न्यायालय में वजह सबूत वरवक्मत साक्ष्य पेश किये थे जो पूरे नहीं थे। वजह सबूत में दो टायर और एक बैटरी भी पेश नहीं की गई।

साक्षी पी.ड. 15 दर्शन सिंह ने साक्ष्य में कथन किए हैं कि दिनांक 15.08.2014 को वह पुलिस थाना नंदगढ़ जिला बठिण्डा पंजाब में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज वक्त 10.30 एएम पर थाना हाजा पर सूचना मिली कि गांव रहकेकलां के पास एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा है. इस सूचना पर वह रवाना होकर रहकेकलां पहुंचा जहां सड़क किनारे एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा मिला जिस पर नम्बर प्लेट पर एक नंबर आरजे 02 जीए 7569 लिखित था। तालाशी में ट्रक के अंदर से रजिस्ट्रेशन की कॉपी मिली, जिसमें मालिक उस्मान निवासी किशनगढ़वास दर्ज था। ट्रक के दो टायर मय रिम के उतारे हुए थे आगे के टायर के अलावा पीछे के चक्कों के टायर पुराने कटे फटे चढ़ाए हुए थे। ट्रक की बैटरी गायब थी। ट्रक का निरीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि एक चोरी करके उसके टावर, बैटरी, रिम वगैरा चोरी करके ट्रक को यहां लावारिस हालत में खड़ा किया गया है। उसने इस ट्रक को जरिए फर्द कब्जा पुलिस में लिया और बतौर वजह सबूत जब्त करके थाना पर मालखाना इंचार्ज श्री जसवीर सिंह एसची 1554 को संभलवाया और उसने उक्त ट्रक लावारिस हालत में मिलने का पर्चा

मुकदमा संख्या 52/15.08.2014 दर्ज करवाया जिसका अनुसंधान उसके द्वारा किया गया। फिर उक्त ट्रक बाबत लूट का प्रकरण संख्या 179/14 धारा 394 आईपीसी पुलिस थाना लालगढ़ जाटान में दर्जशुदा था। उक्त प्रकरण में उसने आईओ को पर्चा मुकदमा संख्या 52/15.08.2014 व फर्द जब्ती की प्रमाणित प्रतिलिपि दी थी। एफआइआर नंबर 52/14 पीएस नंदगढ़ धारा 379/411 आईपीसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शपी 36 है, जिस पर ए से बी जसवंत सिंह एएसआई आईसी एसएचओ के हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शपी 38 है, जिस पर ए से बी थाना की मोहर अंकित है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्शपी 37 है, जिस पर ए से बी लालगढ़ के हस्ताक्षर व मोहर है। फर्द मकबुजगी प्रदर्शपी 39 है, जिस पर ए से बी एसएचओ लालगढ़ के हस्ताक्षर है। उसकी थाना से बरामदगी दिवस रवानगी व आमद रोजनामचा की रपट प्रदर्शपी 40 है, जिस पर ए से बी रवानगी, सी से डी आमद दर्ज है, ई से एफ जसवीर सिंह एमएचसी के हस्ताक्षर है। जिसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्शपी 41 है, जिस पर ए से बी एसएचओ लालगढ़ की मोहर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्रदर्शपी 42 है, जिस पर ए से बी माल वजह सबूत का अंकन है, सी से डी जसवीर सिंह एचसी मालखाना इंचार्ज के हस्ताक्षर है, जिसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्शपी 43 है, जिस पर सी से डी जसवीर सिंह के हस्ताक्षर, ए से बी एसएचओ लालगढ़ की मोहर है। प्रकरण में जब्तशुदा लावारिस ट्रक परिवादी द्वारा सुपुर्दगी पर ले लिया गया। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह नें कथन किया है कि वह पंजाब पुलिस में मुलाजमान था। थाने में फोन पर सूचना आई थी, थाने वालो नें उसे बताया था। थाने से ट्रक 5-7 किमी दूर लावारिस हालत में खड़ा था। उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था। उस समय उसे उक्त ट्रक की कोई जानकारी नही थी कि ट्रक कहां से व कौन लाया था। रजिस्ट्रेशन मालिक मौका पर उनके पास नहीं आया व ना ही उन्होने बुलाया। जो कागजात उन्हे वहां मिले वह उन्होने जब्त कर लिए थे। ट्रक के टायर, बैटरी, रिम कहां चोरी हुए यह उसे पता नहीं। ट्रक की तलाशी लेने के पश्चात उसमें कोई वस्तु बरामद नहीं हुई।

08. पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन एवं अध्ययन करें तो हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी ईदरीश और सुनील कुमार द्वारा पुलिसथाना-सादुलशहर पर दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 के आधार पर संस्थित हुआ है, जो बाद अनुसंधान इस स्तर पर पहुंचा है, जबकि इस सम्बन्ध में

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाह/परिवादी पी.डब्ल्यू.01 ईदरीश एवं पी.डब्ल्यू. 04 सुनील कुमार की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त दोनों गवाहन ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 0 1 में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। उक्त दोनों गवाहान की मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के अनुसार उक्त दोनों ही गवाहान को वरवक्त घटना उनका ट्रक और सामान लूट कर ले जानें वालों के नाम पते, पता नहीं होना ही प्रकट होता है। लिखित रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि गवाहान/परिवादीगण द्ववारा लिखित रिपोर्ट नामजद नहीं दी गई थी। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना नंदगढ जिला भटिण्डा पंजाब में दर्ज मुकदमा नं. 52/2014 अन्तर्गत धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता की प्रमाणित प्रति के आधार पर हस्तगत प्रकरण में आरोपित मानकर गिरफ्तार किया गया था और परिवादीगण ईदरीश और सुनील द्वारा गंगानगर जेल में शिनाख्तगी परेड की कार्यवाही में मुल्जिमान की पहचान और फर्द बरामदगी प्रदर्श पी0 25, 27, 29 के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। यद्यपि गवाह पी.ड.01 इदरीश और पी.ड. 4 सुनील नें अपनी मुख्य परीक्षा में शिनाख्तगी कार्यवाही की पुष्टि की है। परंतु शिनाख्तगी प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 4, 5 तैयार करने के गवाह पी.ड.13 कैलाशचन्द्र की साक्ष्य का अवलोकन करे तो उक्त गवाह नें अपने समक्ष कारागार श्रीगंगानगर में शिनाख्त कार्यवाही करनें के तथ्य को अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है, परंतु परिवादीगण की शिनाख्त नहीं करने के तथ्य को भी स्वीकार किया है। उक्त गवाह नें अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह परिवादी इदरीश को पहले से नहीं जानता है और इदरीश का कोई आधार कार्ड उसने देखा हो तो उसे याद नहीं है। इदरीश का नाम तो उसे पुलिसवालो नें बताया था और उन्होंने ही उसकी पहचान की थी। इस सबंध में प्रदर्श पी. 4, 5 का अवलोकन करनें से प्रकट है कि परिवादी की पहचान के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं है और ना ही परिवादी की पहचान करनें वाले पुलिस अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर अंकित है। इसके अलावा परिवादी की पहचान बाबत कोई दस्तावेज प्रदर्श पी. 4, 5 के साथ संलग्न नहीं है। ऐसी दशा में उक्त शिनाख्तगी की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है।

09. यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां चोरी और लूट के अपराध के मामलो में अभियुक्तगण के नामजद लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी जाती है और अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में संदिग्धता उत्पन्न होती है, वहां न्यायालय को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का विवेचन करना होता है। परिस्थिति के अनुसरण में पत्रावली का

अवलोकन किया जावे तो यह दृष्टिगत होता है कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि गवाह झूठ बोल सकता है, किंतु परिस्थितियां नहीं। यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्षी आवश्यक नहीं होता, किसी व्यक्ति का दोष परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। इस संबंध में परिस्थिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई साक्ष्य की श्रृंखला इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए कि इस निष्कर्ष के लिए कोई ऐसा युक्तियुक्त आधार नहीं बचे, जो अभियुक्त की निर्दोषता से सुसंगत हो। ऐसी दशा में परिवादीगण के साथ की गई लूट की घटना की कहानी संदेह से परे विश्वसनीय साबित नहीं होती है। क्योंकि लूट के प्रकरण में बरामदगी भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। जहाँ तक अभियुक्तगण से की गई बरामदगी की कार्यवाही का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 14 गुलाब सिंह नें अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण कुलदीप की निशानदेही से कुलदीप के मकान से टायर मय रिम बरामद करनें जरिये फर्द प्रदर्श पी0 27 बरामद करने और इसी प्रकार मुल्जिम हरप्रीत सिंह के कब्जे से ट्रक के कुल 4 टायर जरिये फर्द प्रदर्श पी0 25 बरामद करने के कथन किये है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में बरामदगीस्थल पर उपस्थित व्यक्तियों और साथी कर्मचारियों के नाम तथा अभियुक्तगण से क्या-क्या बरामद किया था, याद नहीं होने बाबत कथन किए हैं तथा अभियुक्त फतेह सिंह से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं होने बाबत कथन किए हैं। ऐसी दशा में नयायालय का समाधान है कि जबकि प्रकरण के मुख्य गवाह बरामदगीकर्ता ही अपने द्वारा की गई फर्द बरामदगी के तथ्यों को याद नहीं होने बाबत कथन अपनी प्रतिपरीक्षा में किए हैं, उस स्थिति में फर्द बरामदगी के अन्य गवाहान की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रकरण मे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप को साबित करने के लिए बरामदगी ही मुख्य तथ्य है। इस संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 27 के गवाह पी.ड. 8 कुलदीप ,पी.ड.11 बिटू ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं किए जाना स्वीकार किया है और अभियुक्त को नहीं जानने का कथन भी अपनी प्रतिपरीक्षा में किया है। उक्त दोनों गवाहान द्वारा खाली कागजात पर पुलिस द्वारा हस्ताक्षर करवाये जाने व उनके समक्ष प्रदर्श पी. 27 व 28 की फर्दे नहीं बनाये जाना स्वीकार किया है तथा साथ में यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त कुलदीप के घर से कोई टायर व रिम बरामद नहीं हुये है। इसी प्रकार प्रदर्श पी. 29 के गवाह पी.ड. 9 सुरेन्द्र सिंह और पी.ड. 10 सुरजीत सिंह अपने नकारात्मक कथनों के कारण अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये गये। उक्त दोनों गवाहान नें अभियोजन द्वारा की गई जिरह में पुलिस द्वारा उनके मोहल्ले में आकर ही प्रदर्श पी. 29 व 30 पर उनके हस्ताक्षर करवाये

जानें का कथन किया है तथा अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के मकान से टायर मय रिम दो बड़ी बैटरियां उनके सामनें बरामद कर प्रदर्श पी. 29 व 30 पर उनके हस्ताक्षर करवाये जाने के तथ्य को गलत बताया है तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण की प्रतिपरीक्षा में अपने समक्ष गुरप्रीत उर्फ गोरा से एक टायर टयूब मय रिम ट्रक व दो बड़ी बैटरीयां बरामद नहीं करने का कथन किये है। इस प्रकार फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 27,28, 29 व 30 के गवाहान द्वारा फर्द बरामदगी को साबित नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी के मुख्य गवाह बरामदगीकर्ता द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में बरामदगी के संबंध में कोई भी तथ्य याद नहीं होने के कथन किये जाने से उक्त बरामदगीकर्ता के मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जिससे फर्द बरामदगी संदेहास्पद प्रतीत होती है और यह साबित होता है कि अभियुक्तगण से हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसके अलावा प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड.02 उस्मान द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने और घटना होते हुये नहीं देखनें बाबत साक्ष्य दी है और इसी प्रकार द्वारा पी. ड. 3 तारांचद ने भी अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं होने की साक्ष्य दी है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 5 ओमप्रकाश नें घटनास्थल पर हाथ पैर बांधने वाले कपड़े के साफे या रस्से की कोई बरामदगी नहीं होने और लूट की गइ राशि बरामद नही होने बाबत साक्ष्य दी है। उक्त गवाह की साक्ष्य से भी परिवादीगण द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की पुष्टि नहीं होती है। गवाह पी.ड. 15 दर्शन सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में हस्तगत प्रकरण के वजह सबूत ट्रक का लावारिस हालत में खड़े होने व उसके पास कोई व्यक्ति नहीं होने तथा उस समय उसे ट्रक की कोई जानकारी नही होने, ट्रक कौन लाया व कहां से लाया की जानकारी नहीं होने तथा ट्रक के टायर बैटरी रिम कहां चोरी हुये पता नहीं होने बाबत साक्ष्य दी है। तथा यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि ट्रक की तलाशी लेने के बाद उसमें कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण की पहचान बाबत् लेशमात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। ऐसी दशा में उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन से स्पष्ट प्रकट है कि अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी के सभी गवाहान ने अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी किये जाने के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है, यहाँ तक अभियुक्तगण की पहचान बाबत् साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं आई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त से बरामदगी एवं अभियुक्त की पहचान बाबत् साक्ष्य के अभाव में अपना मामला संदेह से परे साबित करने

में असफल रहा है।

10. अतः अभियोजन पक्ष सुदृढ़ व तात्विक साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04-08-2014 को सुबह चार पौने चार बजे सड़क आम मौजा नजद गांव बुधरवाली पुलिस थाना लालगढ जाटान में परिवादी ईदरीश व सुनील को ट्रक पर जाते हुए को आम रास्ता बुधरवाली में ट्रक को रूकवाकर एक साथ उन्हें लूटने के सामान्य आशय से रोककर उनके साथ मारपीट की और उनसे 21900 रूपए व सुनील का मोबाइल एवं ट्रक को छीन कर ले जाकर लूट कारित की और लूट कारित करनें में आपके द्ववारा ईदरिश व सुनील को स्वैच्छ्या साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 394/34 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>– आदेश –</u>

11. अतः अभियुक्तगण (1) फतेह सिंह पुत्र राजा सिंह जाति मजबी सिख निवासी तरखानवाला पीएस सदर मलोट पंजाब (2) कुलदीप सिंह उर्फ गुरदीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रायसिख निवासी कच्चा सीडफार्म अजीतनगर नजद सरकारी स्कूल दाना मण्डी के पीछे अबोहर पंजाब (3) गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति मजबी सिख निवासी वार्ड नं. 2 अजीतनगर कच्चा सीडफार्म अजीतनगर नजद सरकारी स्कूल दाना मण्डी के पीछे अबोहर पंजाब को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 394 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु राशि 10000/- रूपये का व्यक्तिगत् बंध-पत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त हरप्रीत सिंह उर्फ बिटू मफरूर है, पत्रावली

का कोई भाग नष्ट नहीं किये जाने बाबत् लाल स्याही से नोट अंकित हो।

(मीना गहलोत)

12. निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मीना गहलोत)